




झारखण्ड राज्य लघुवनोपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ लि. (झाम्फकोफेड)

तृतीय तल्ला, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद बिल्डिंग, ईटकी रोड, हेहल, राँची-834005, झारखण्ड।
Web Site :- www.jhamfcofed.com E.mail I.D.:- ms.jhamfcofedcom@rediffmail.com
TIN No. 20850306656 mdjhamfcofed@gmail.com

सूचना

झाम्फकोफेड, राँची द्वारा खरीदा गया अच्छी क्वालिटी के 10:00 MT गीजन गोन्द जो रंका व्यापार मण्डल सहयोग समिति लि०, रंका, गढ़वा भंडार में भंडारित है, को बेचने का प्रस्ताव है। इच्छुक खरीददार दिनांक 20.05.2014 के 2:00 बजे दिन तक प्रति किलो की क्रय करने की दर सीलबन्द लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें। निविदा उसी दिन व्यवसाय उपसमिति एवं उपस्थित निविदादाता के समक्ष 3:00 बजे दिन में खोला जायेगा। निविदा के साथ 20,000/- रूपया का अग्रधन राशि का Demand Draft, JHAMFCOFED Payable at Ranchi के नाम से गीजन गोन्द के लिए जमा करना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाता को छोड़कर अन्य का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा। विस्तृत जानकारी एवं अन्य शर्तों आदि के लिए कृपया हमारे Web Site :- www.jhamfcofed.com को देखें।


प्रबंध निदेशक।

निविदा की शर्तें :

1. गीजन गोन्द रंका व्यापार मण्डल सहयोग समिति लि०, रंका, गढ़वा में भंडारित है।
2. क्रेता रंका व्यापार मण्डल सहयोग समिति लि०, रंका, गढ़वा जाकर गीजन गोन्द के नमूनों की जाँच कर सकते हैं।
3. दिनांक 20.05.2014 (मंगलवार) को 2:00 बजे दिन तक निविदा दी जा सकती है।
4. निविदा के साथ 20,000/- रूपये की राशि गीजन गोन्द के लिए Demand Draft, JHAMFCOFED Payable at Ranchi के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अग्रधन के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल निविदादाता को छोड़कर अन्य का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।
5. दिनांक 20.05.2014 (मंगलवार) को व्यवसाय उपसमिति के समक्ष 3:00 बजे दिन में निविदा खोली जायेगी।
6. अधिकतम दर देने वाले क्रेता को क्रय मूल्य के कुल राशि का 10% अग्रिम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा तथा पूर्ण भुगतान कर 30 दिनों के अन्दर उठाव कर लेना होगा। माल का उठाव किस्तों में भी किया जा सकता है। माल का उठाव सीधे भंडारित स्थल से किया जायेगा।
7. राशि के भुगतान के पश्चात गीजन गोन्द के उठाव का प्राधिकार पत्र दिया जायेगा।
8. गीजन गोन्द क्रय हेतु निविदादाता द्वारा दिये गये अधिकतम दर पर किसी एक क्रेता को माल की आपूर्ति की जायेगी।
9. बिक्री कर तथा अन्य देय कर यदि कोई हो आदि का भुगतान निविदादाता/क्रेता द्वारा उठाव के समय संघ को किया जायेगा।
10. इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर विवाद का निपटारा निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड राँची के द्वारा की जायेगी, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा के शर्तों में परिवर्तन अथवा रद्द करने का अधिकार होगा।